सशक्त पंचायत सतत् विकास

पीसीएच–एचसी(2022)एसडीजी––8307–8330
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

प्रेषकः

निदेशक एवं विशेष सचिव(पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषितः–

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्, हिमाचल प्रदेश।

2. समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला–171009 दिनांक 08 सितम्बर, 2022

विषय :– ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों में अतिरिक्त समितियों का गठन करने बारे।

महोदय,

पंचायती राज मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या एम–11015/435/2020–गवर्नेस, दिनांक 20 जुलाई 2022 के अर्न्तगत दिये गये दिशा निदेर्शो अनुसार बेहतर एवं प्रभावशाली ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने के साथ–2 इसका प्रभावशाली कार्यान्वयन तथा निगरानी रखने हेतू यह आवश्यक है कि निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त स्वंय सहायता समूह(SHGs), महिला मण्डल सदस्यों तथा ग्राम संगठन (VOs), के समूहों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में पिपल्स प्लान कैम्पैन में ग्राम पंचायतों द्वारा यह भी संकल्प लिया गया है कि सतत् विकास लक्ष्य के अन्तर्गत

रखे गये 09 थीम (Nine Themes) को मध्यनजर रखते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जायेगी।

अतः पंचायती राज संस्थाओं–स्वंय सहायता समूहों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सतत् विकास लक्ष्य के अन्तर्गत रखे गये 09 थीम (Nine Themes) के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतू आपसे अनुरोध किया जाता है कि समस्त ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23 तथा धारा 87 में वर्णित प्रावधान अनुसार समितियों का गठन करने के साथ–साथ पंचायत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त स्वंय सहायता समूह, महिला मण्डल सदस्यों तथा ग्राम संगठन के समूहों को शामिल करके सतत् विकास लक्ष्यों के 09 थीम पर आधारित निम्न अतिरिक्त समितियों का गठन करना सुनिश्चित करें तथा इन समितियों को क्रियाशील करने हेतू समस्त ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों को निर्देश जारी करें :–

1, सामान्य स्थाई समितियां।
2, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति।
3, योजना और विकास समिति।
4, शिक्षा समिति।
5, सामाजिक न्याय समिति।
6, जल आपूर्ति जल और पर्यावरण संरक्षण समिति।

भवदीय,

निदेशक एवं विशेष सचिव,
पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश सरकार।

8331-8516
पृष्ठांकन संख्या–उपरोक्त– – **शिमला7171009 दिनांक** 08 **सितम्बर, 2022**
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू:–

1. अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त, पंचायत निरीक्षक/उप निरीक्षक(पंचायत), हिमाचल प्रदेश।
4. अधीक्षक–II, विधि शाखा–I, पंचायती राज मुख्यालय, हि0 प्र0।

निदेशक एवं विशेष सचिव,
पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश सरकार।